न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/113 (प्राथमिक डिकी) **दायरा दिनांक : 13.07.2022**

उनवान

1. देवकरण आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
2. हीरालाल आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
3. भरोसीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मदनलाल, जाति गुर्जर, निवासी देवली व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
4. मांगीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी सूरजमल, जाति गुर्जर, निवासी पमोदीपुरा व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०) .... अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल
2. बलराम
3. लक्ष्मीबाई
   पिसरान गणेश, जाति गुर्जर, निवासीगण श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
4. मोत्याबाई बेवा गणेश, जाति गुर्जर, निवासी श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
5. बाबूलाल आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
6. परमानन्द आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
7. कलावती बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी किशनलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. शान्ति बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी छीतरलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
9. कलाबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज०)
10. प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी राधेश्याम, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज०)
11. रूकमणी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामजी, जाति गुर्जर, निवासी आवां, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज०)
12. चन्द्रीबाई पुत्री भैरूलाल, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    12/1. बन्टी पुत्र चन्द्रीबाई व छोटूलाल
    12/2. पूजा पुत्री चन्द्रीबाई व छोटूलाल, निवासीगण कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13. मन्नीबाई पुत्र बक्शू, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकाम –
    13/1. जीतमल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/2. गोपाल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/3. सन्तोषबाई पुत्री मन्नीबाई व प्रभु जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)
    13/4. समझबाई पुत्री आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
14. मथरीबाई पुत्री बक्शू पत्नी देवलाल, जाति गुर्जर, निवासी तम्बोलिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
15. बदनबाई पुत्री बक्शू पत्नी अमरलाल, जाति गुर्जर, निवासी बान्दरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
16. आनन्दीलाल पुत्र मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
17. रामपाली बाई बेवा मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
18. शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई. बैंक शाखा, मिनी सचिवालय झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/112 (फाइनल डिक्री) **दायरा दिनांक : 13.07.2022**

उनवान

1. देवकरण आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
2. हीरालाल आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
3. भरोसीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मदनलाल, जाति गुर्जर, निवासी देवली व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
4. मांगीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी सूरजमल, जाति गुर्जर, निवासी पमोदीपुरा व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०) .... अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल
2. बलराम
3. लक्ष्मीबाई
   पिसरान गणेश, जाति गुर्जर, निवासीगण श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
4. मोत्याबाई बेवा गणेश, जाति गुर्जर, निवासी श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5. बाबूलाल आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
6. परमानन्द आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
7. कलावती बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी किशनलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. शान्ति बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी छीतरलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
9. कलाबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज०)
10. प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी राधेश्याम, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज०)
11. रूकमणी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामजी, जाति गुर्जर, निवासी आवां, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज०)
12. चन्द्रीबाई पुत्री भैरूलाल, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    12/1. बन्टी पुत्र चन्द्रीबाई व छोटूलाल
    12/2. पूजा पुत्री चन्द्रीबाई व छोटूलाल, निवासीगण कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
13. मन्नीबाई पुत्र बक्शू, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    13/1. जीतमल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/2. गोपाल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/3. सन्तोषबाई पुत्री मन्नीबाई व प्रभु जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)
    13/4. समझबाई पुत्री आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
14. मथरीबाई पुत्री बक्शू पत्नी देवलाल, जाति गुर्जर, निवासी तम्बोलिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
15. बदनबाई पुत्री बक्शू पत्नी अमरलाल, जाति गुर्जर, निवासी बान्दरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
16. आनन्दीलाल पुत्र मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
17. रामपाली बाई बेवा मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन जिला झालावाड़ (राज०)
18. शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई. बैंक शाखा, मिनी सचिवालय झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)

...... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 19.03.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 713/दावा/2018 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2020 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.08.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2072 लगायत 2075 ग्राम दुर्गपुरा, पटवार हल्का दुर्गपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल मे खाता संख्या नया 99 पुराना 90 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 03 बिस्वा गे.मु.चाह, खसरा नम्बर 27 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा माल दोयम, खसरा नम्बर 377 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा नहरी प्रथम, खसरा नम्बर 395 रकबा 07 बिस्वा गे.मु.झरड़ा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा कुल लगानी 39 रूपये 13 पैसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 17 के सहखातेदारी मे दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 से वाद वादीगण प्राथमिक डिकी किया तथा दिनांक 25.08.2021 वाद वादीगण फाइनल डिकी किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रह–सार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के साथ न्याय नहीं किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 अशिक्षित अनपढ़ काश्तकार रहे हैं। जिन्हें न्यायालय में होने वाले प्रक्रियों का ज्ञान नहीं रहा है। अपीलान्ट देवकरण व हीरालाल के अधिवक्ता के द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादीगण को यह सूचना दी गई थी। जब कभी भी आपकी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा इस कारण अपीलान्ट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सके। अपीलान्ट का जवाब बन्द कर दिया गया और मुताबिक आदेशिका दिनांक 03.02.2020 को बयान लिये जाकर दिनांक 03.03.2020 को पत्रावली डिक्री की जाकर तद्उपरान्त दिनांक 25.08.2021 को अन्तिम रूप से विभाजन पत्र अन्तिम डिक्री पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादीगण पेशे से काश्तकार व कानून पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं न्यायालय के आदेश से सरसरी तौर पर अपीलान्ट को सूचित किये बगैर, जानकारी दिये बगैर तहसीलदार एवं झालरापाटन एवं हल्का पटवारी के द्वारा प्रस्ताव बंटवारा दिनांक 28.12.2020 को तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। जो कि विधि विरूद्ध एवं टीनेन्सी कानून एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

अपीलान्ट प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त आराजियात ग्राम दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ की खाता संख्या 99/99 के खसरा नम्बरान 26, 27, 377, 395 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा पर उनके पिता के जमाने से ही एक मात्र रूप से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में इस प्रकरण को पक्षकारान के पितागण मैरूलाल, रामचन्द्र जी, गणेश जी, बक्शू जी व अपीलान्ट प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल के मध्य चले एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश, झालावाड़ प्रकरण संख्या 235/81 बउनवान श्री भैरूलाल बनाम रामचन्द्र वगैरह दावा अन्तर्गत 53, 88, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सभी पक्षकारान की ग्राम कलमण्डी कलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ की आराजियात के विभाजन व घोषणा के लिये एक वाद पत्र भैरूलाल, रामपाली बाई व आनन्दीलाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो कि इस प्रकरण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार रहे हैं इसी प्रकार प्रतिवादीगण रामचन्द्र, गणेश वगैरह के भी वारिस इसमें पक्षकार हैं। उक्त वाद के प्रतिवादी गणेश के वारिसान द्वारा ही इस अपील का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। इस वाद के जवाब दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 रामचन्द्र ने अपने जवाब दावे के मद नम्बर 3 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि ग्राम कलमण्डीकलां में अपीलान्ट के पिता भंवरलाल का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि भंवरलाल को ग्राम दुर्गपुरा की भूमि दे दी गई है और ग्राम दुर्गपुरा में 30 वर्ष (1980 में) से रह रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि सन् 1980 के पूर्व से ही अपीलान्ट प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में निर्णित भूमि रही हैं। इस वाद के जवाब दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 गणेश (इस वाद के वादीगण वारिसान) व रामनाथी बाई ने अपने जवाब दावे में वाद पत्र की सभी मदों को स्वीकार कर भैरूलाल वगैरह का दावा स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की थी इससे यह स्पष्ट हैं कि सन् 1980 के पूर्व से ही अपीलान्ट प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में निर्णित भूमि रही है फिर भी इनके द्वारा गलत रूप से आरोपित वाद एवं निर्णय करवाकर न्यायालय को गुमराह किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रारम्भिक डिक्री खारिज होने योग्य है। भैरूलाल बनाम रामचन्द्र का निर्णय दिनांक 31.07.1984 को आंशिक स्वीकार किया गया था। निर्णय व डिक्री की फोटोप्रति संलग्न हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता हैं कि आरोपित वाद पत्र गलत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से उक्त वाद पत्र चलने योग्य नहीं था। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री व अन्तिम डिक्री खारिज होने योग्य हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2020 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.08.2021 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय डिक्री खारिज किया जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.05.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में गणेश के वारिसान ने दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा जवाब बन्द करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया है। ग्राम दुर्गपुरा की जमीन का दावा किया है ग्राम दुर्गपुरा की आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। पूर्व से ही आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो रखा है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्ष रखने हेतु रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे हिस्से के अनुसार ही निर्णय किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 की खाता संख्या नया 99 पुराना 90 की कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा विवादित आराजी जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज रिकॉर्ड है, इसमें से अपना जमाबंदी में दर्ज 8/35 हिस्से का बंटवारा कर पृथक खाता दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 2 क्रमशः देवकरण व हीरालाल द्वारा जर्ये अभिभाषक महावीर जैन, मुकेश शर्मा वकालतनामा पेश किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 से वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2021 को अंतिम डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2020 को जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 25.08.2021 को जारी अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा अपील संख्या 2022/113 एवं 2022/112 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि ग्राम दुर्गपुरा की विवादित आराजी पर अपीलांट का उनके पिता के जमाने से ही एक मात्र रूप से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में वर्तमान विचाराधीन प्रकरण के पक्षकारान के पिता भैरूलाल, रामचन्द्र, गणेश, बक्शू व अपीलांट के पिता भंवरलाल के मध्य न्यायालय सहायक जिलाधीश, झालावाड में ग्राम कलमण्डी कलां, तहसील झालरापाटन की आराजीयात के विभाजन व घोषणा के लिये एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 235/1981 बउनवान भैरूलाल बनाम रामचन्द्र वगैरहा प्रस्तुत किया गया था। इस वाद के जवाब दावे में प्रतिवादी कम 1 रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की मद नं. 03 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि ग्राम कलमंडीकला में अपीलांट के पिता भंवरलाल का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि भंवरलाल को ग्राम दुर्गपुरा की भूमि दे दी गई है और वह ग्राम दुर्गपुरा में 30 वर्ष से रह रहा है। इसी वाद के जवाबदावे में प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 द्वारा वाद पत्र की सभी मदों को स्वीकार कर भैरूलाल वगैरहा का दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की है। इससे यह स्पष्ट है कि सन् 1980 के पूर्व से ही अपीलांट प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में निर्णित भूमि रही है फिर भी वादीगण द्वारा गलत रूप से वाद दायर कर न्यायालय को गुमराह किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री खारिज होने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम कलमण्डी कलां, तहसील झालरापाटन की आराजी के सन्दर्भ में पूर्व में दायर उपरोक्त दावों एवं जवाब दावों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है परन्तु इसे दावे के सन्दर्भ में न्यायालय सहायक जिलाधीश, झालावाड द्वारा क्या निर्णय पारित किया इस सन्दर्भ में ना तो प्रस्तुत वर्तमान अपील में कोई कथन अंकित किया है और ना ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य ग्राम कलमण्डी कलां एवं ग्राम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दुर्गपुरा की आराजी के सन्दर्भ में पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवारे की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादी भैरूलाल द्वारा ग्राम कलमण्डी कलां की शामलाती खाते की आराजी के सन्दर्भ में घोषणा एवं बंटवारे हेतु पूर्व में न्यायालय सहायक जिलाधीश, झालावाड के न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र की मद नम्बर 3 में स्वयं वादी भैरूलाल ने अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 का बराबर का हिस्सा है एवं वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 में आपस में बंटवारा नहीं हुआ है। अतः अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 द्वारा अपील में प्रस्तुत पूर्व वाद के दस्तावेजों में अंकित विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर ग्राम दुर्गपुरा की वर्तमान वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ता 4 का हिस्सा नहीं है यह वैधानिक रूप स स्वीकार करना हम उचित नहीं समझते। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर डिकी किया है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी एवं निर्णय व अंतिम डिकी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2022/113 एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 25.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2022/112 दोनों अपीले खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2020 एवं निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 25.08.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2022/113
(प्राथमिक डिक्री)

1. देवकरण आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
2. हीरालाल आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
3. भरोसीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मदनलाल, जाति गुर्जर, निवासी देवली व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
4. मांगीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी सूरजमल, जाति गुर्जर, निवासी पमोदीपुरा व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. देवीलाल
2. बलराम
3. लक्ष्मीबाई
   पिसरान गणेश, जाति गुर्जर, निवासीगण श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
4. मोत्याबाई बेवा गणेश, जाति गुर्जर, निवासी श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
5. बाबूलाल आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
6. परमानन्द आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
7. कलावती बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी किशनलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. शान्ति बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी छीतरलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
9. कलाबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज०)
10. प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी राधेश्याम, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज०)
11. रूकमणी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामजी, जाति गुर्जर, निवासी आवां, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज०)
12. चन्द्रीबाई पुत्री भैरूलाल, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    12/1. बन्टी पुत्र चन्द्रीबाई व छोटूलाल
    12/2. पूजा पुत्री चन्द्रीबाई व छोटूलाल, निवासीगण कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
13. मन्नीबाई पुत्र बक्शू, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    13/1. जीतमल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/2. गोपाल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/3. सन्तोषबाई पुत्री मन्नीबाई व प्रभु जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)
    13/4. समझबाई पुत्री आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
14. मथरीबाई पुत्री बक्शू पत्नी देवलाल, जाति गुर्जर, निवासी तम्बोलिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
15. बदनबाई पुत्री बक्शू पत्नी अमरलाल, जाति गुर्जर, निवासी बान्दरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
16. आनन्दीलाल पुत्र मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
17. रामपाली बाई बेवा मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
18. शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई. बैंक शाखा, मिनी सचिवालय झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)

.... **रेस्पोडेंट**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2022/112
(फाइनल डिक्री)

1. देवकरण आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)

2. हीरालाल आत्मज भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)

3. भरोसीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मदनलाल, जाति गुर्जर, निवासी देवली व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)

4. मांगीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी सूरजमल, जाति गुर्जर, निवासी पमोदीपुरा व्हाया चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)

.... **अपीलांट**

1. देवीलाल
2. बलराम
3. लक्ष्मीबाई
   पिसरान गणेश, जाति गुर्जर, निवासीगण श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
4. मोत्याबाई बेवा गणेश, जाति गुर्जर, निवासी श्री कृष्ण गौशाला द्वारकाधीश मन्दिर के पास झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
5. बाबूलाल आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
6. परमानन्द आत्मज भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
7. कलावती बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी किशनलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. शान्ति बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी छीतरलाल, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
9. कलाबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी भैरूलाल, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज०)
10. प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी राधेश्याम, जाति गुर्जर, निवासी छोटी गुवाड़ी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज०)
11. रूकमणी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामजी, जाति गुर्जर, निवासी आवां, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज०)
12. चन्द्रीबाई पुत्री भैरूलाल, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    12/1. बन्टी पुत्र चन्द्रीबाई व छोटूलाल
    12/2. पूजा पुत्री चन्द्रीबाई व छोटूलाल, निवासीगण कलमण्डीकलां, तहसील
    झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
13. मन्नीबाई पुत्र बक्शू, जाति गुर्जर मृतक कायम मुकामान –
    13/1. जीतमल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील
    रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/2. गोपाल आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील
    रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
    13/3. सन्तोषबाई पुत्री मन्नीबाई व प्रभु जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील
    रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)
    13/4. समझबाई पुत्री आत्मज मन्नीबाई व प्रभु, जाति गुर्जर, निवासी अरनिया,
    तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
14. मथरीबाई पुत्री बक्शू पत्नी देवलाल, जाति गुर्जर, निवासी तम्बोलिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
15. बदनबाई पुत्री बक्शू पत्नी अमरलाल, जाति गुर्जर, निवासी बान्दरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
16. आनन्दीलाल पुत्र मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
17. रामपाली बाई बेवा मगन, जाति गुर्जर, निवासी कलमण्डीकलां, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़ (राज०)
18. शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई. बैंक शाखा, मिनी सचिवालय झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०)

... **रेस्पोडेंट**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील नं. **2022/113, 2022/112** एवं नाराजगी डिकी अदालत–**उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**
मु.द.नं **713/दावा/2018**

निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक – **03.03.2020**
फाइनल डिकी दिनांक– **25.08.2021**

दावा बाबत
माह अपील व तारीख 21 माह **02** सन् **2025**

हाजरी **श्री अमितोष आचार्य** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 से 4 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2022/113 एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 25.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2022/112 दोनों अपीले खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2020 एवं निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 25.08.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)